



Neutral Citation No.-2026:AHC:10022

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-35886 वर्ष 2025**

**सादिक ..... आवेदक**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी**

**आवेदक के अधिवक्ता: अरविंद कुमार मिश्रा**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता**

**न्यायालय सं - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल**

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आज दायर पूरक हलफनामा अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार मिश्रा और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से 2024 के अपराध संख्या-440, भ०द०वि० की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27, थाना-बागपत, जिला: बागपत में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने कहा जाता है कि उसने 19.05.2024 को दोपहर लगभग 01:30 बजे अपनी बहन असफा के घर पर अपनी बहन रीना पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी थी।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सूचनाकर्ता (आवेदक के पिता) और आवेदक की बहन की जांच पहले ही क्रमशः अ०सा०-1 और अ०सा०-2 के रूप में की जा चुकी है, और उन्होंने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया है। वे आईओ को दिए गए अपने पहले के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बयानों और प्राथमिकी के आरोपों से पूरी तरह से पीछे हट गए हैं। गवाहों को पक्षद्रोही घोषित करने के बाद लोक अभियोजक ने उनसे जिरह की है। इन परिस्थितियों में प्रस्तुत मामले में दोषसिद्धि की कोई संभावना नहीं है।

6. अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक 19.05.2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि आवेदक प्राथमिकी में नामित एकमात्र आरोपी है, जिसे उसके अपने पिता द्वारा दर्ज किया गया है, जिससे झूठे निहितार्थ का कोई अवसर नहीं छोड़ा गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक की मृत्यु आवेदक की बहन के घर के परिसर में हो गई है, और इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

8. खंडन में, आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मृतक अपने तलाक के कारण अवसाद में रह रही थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। आगे यह तर्क दिया जाता है कि मृतक द्वारा लगी बंदूक की गोली की चोट का प्रक्षेपवक्र स्पष्ट रूप से आत्महत्या के बचाव संस्करण का समर्थन करता है और आवेदक की ओर से हत्या के इरादे को खारिज करता है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एकमात्र आरोपी है और प्राथमिकी उसके अपने पिता द्वारा दर्ज की गई है, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता।

10. तदनुसार, जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

11. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 14, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)